

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली, ने आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए एकीकृत तरीके (एकल बोली) के तहत मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करता है।

मुहरबंद उद्धरण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जीएस) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 को सम्बोधित करते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत रूप से भर कर **दिनांक 14.03.2017 को 11.00 बजे तक** अवश्य पहुंच जानी चाहिए। मुहरबंद उद्धरण नियत तिथि एवं समय तक इस कार्यालय के जीएस अनुभाग में डिलीवर किया जाना चाहिए। सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के जीएस अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 4.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच लिया जा सकता है। यह <http://saiindia.gov.in> वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह बोली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा तथा ऐसे बोलीदाताओं जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं की उपस्थिति में समिति कक्ष में **दिनांक 14.03.2017 को अपराह्न 3:00 बजे** खोली जायेगी। सक्षम प्राधिकारी के पास कोई कारण बताए बिना किसी या सभी उद्धरणों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

संलग्न:

1. संलग्नक-I (बोली प्रस्तुती फॉर्म)
2. संलग्नक-II (वचनबद्धता के साथ बोलीदाता का प्रोफाइल)
3. संलग्नक-III (सामान्य निबंधन एवं शर्तों/कार्य सूची)
4. संलग्नक-IV (कीमतों का उद्धरण)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

परिशिष्ट-I

बोली प्रस्तुति फार्म

दिनांक:

बोली पत्र

सेवा

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस),
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली -110124.

संदर्भ: निविदा सं. 220-जीएस/22-2017 दिनांक 15.02.2017 के लिए आमंत्रण

हम, अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि:

1. हमने जांच कर ली है और हमें बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए एजेंडा सहित बोली दस्तावेजों पर कोई संदेह नहीं है।
2. हम बोली दस्तावेज के अनुरूप भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय को आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर सिस्टम उपलब्ध कराने का वचन देते हैं।
3. हमारी बोली, बोली दस्तावेजों के अनुसार बोली प्रस्तुति की अंतिम समय सीमा हेतु निर्धारित तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और यह हम पर बाध्यकारी होगी तथा उस अवधि के समापन से पहले किसी भी समय स्वीकार्य होगी।
4. यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है, तब हम बोली दस्तावेजों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा कराने का वचन देते हैं।
5. हम यह भी घोषणा करते हैं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या प्रतिरोधी कार्यकलापों या गंभीर प्रवृत्ति की किसी विफलता/चूक में शामिल होने के आरोप पर अपात्र घोषित नहीं किया है या ब्लैकलिस्ट नहीं किया है।
6. हम इस बोली दस्तावेज की सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी स्वीकार करते हैं और इस शर्त सहित उनके पालन का वचन देते हैं कि आप उच्चतम रैंक की बोली/न्यूनतम बोली या किसी अन्य बोली जो प्राप्त करेंगे, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(अधिकृत व्यक्ति बोलीदाता कम्पनी की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न करें)

पूरा नाम और पदनाम

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर मुद्रित)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

परिशिष्ट-II

बोलीदाता का प्रोफाइल

1. फर्म का नाम.....
2. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम “श्री/श्रीमती
3. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का पदनाम
4. वैकल्पिक व्यक्ति का नाम, पद, पता तथा मोबाइल नम्बर
5. फर्म का पता
-
-
6. दूरभाष नं. एसटीडी कोड के साथ (का.).....फैक्स.....(नि.).....
7. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं.
8. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का ई-मेल.....
9. संगठन का ई-मेल आईडी.....
10. वेबसाइट एड्रेस.....
11. फर्म के पंजीकरण तथा निगमीकरण का विवरण.....
 - i) प्राइवेट लिमिटेड.....
 - ii) पब्लिक लिमिटेड.....
 - iii) स्वामित्व.....
 - iv) साझेदारी.....
 - v) अन्य - कृप्या निर्दिष्ट करें.....
12. निदेशक/मालिक/साझेदार का नाम.....
13. निदेशक/मालिक/साझेदार की ई-मेल आईडी.....
14. निदेशक/मालिक/साझेदार का मोबाइल नंबर
15. बोलीदाता का बैंक, इसका पता तथा चालू खाता संख्या
16. स्थायी खाता संख्या (पैन)
- (कृपया पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतियां संलग्न करें)
17. सेवा कर संख्या.....

(कृप्या सेवाकर पंजीकरण संख्या की प्रतियां संलग्न करें)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

18. टिन संख्या

19. ईएमडी का विवरण

- i) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी सं.
- ii) तिथि
- iii) बैंक का नाम
- iv) बैंक का पता
- v) बीजी/डीडी की वैधता

20. ओईएम से प्राधिकृति का विवरण

ब्रांड का नाम जिसके लिये प्राधिकृत है	ओईएम प्रमाणपत्र का विवरण (संख्या और तिथि तथा वैधता)

घोषणा

1. मैं, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनके पालन का वचन देता हूँ।
2. मेरे द्वारा उद्धृत दरें वैध तथा ठेके की पूर्ण अवधि के लिए मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि उद्धृत दरें न्यूनतम दरें हैं जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में उद्धृत हैं।
3. मैं/हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को ठेके की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मेरे/हमारे द्वारा जमा बयाना राशि/प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अधिकार देता हूँ, यदि मेरे/एजेंट की ओर से विलम्ब होता है या अपेक्षित आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर प्रदान करने में विफल हो या यदि कार्य आदेश स्वीकार न करें या निष्पादन बैंक गारंटी नियत समय के अंदर प्रस्तुत न हो और वांछित गुणवत्ता की न हो।
4. मैं निर्धारित समय के अंदर निविदा दस्तावेज/कार्य आदेश/ठेका करार में दिये गये निर्देश के अनुसार आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर सिस्टम प्रदान करने का वचन देता हूँ, ऐसा न करने पर मैं भारत के सीएजी के कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित किये जाने के लिये पात्र हूँ।
5. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि भारत सरकार या किसी भी सरकारी निकाय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय ने हमें भ्रष्ट, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या प्रतिरोधी कार्य या किसी विफलता/किसी भी प्रकार की चूक से जुड़े होने के आरोप में अपात्र या ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं किया है।

स्थान:

तिथि:

बोलीदाता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर.....

बोलीदाता का नाम.....

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

परिशिष्ट-III

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय इस कार्यालय के लिए आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम की खरीद करेगा। खरीदे जाने वाले आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम की संख्या अनन्तिम है तथा कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के एकमात्र विवेकाधिकार पर इसमें वृद्धि या कमी की जा सकती है।
2. **पार्टियां:** बोली की पार्टियां बोलीदाता (जिसे कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होंगी।
3. **पता:** इसके अंतर्गत विवाचन सहित ठेके के सभी उद्देश्यों के लिए बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक कि बोलीदाता भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पृथक पत्र द्वारा पते के परिवर्तन की अधिसूचना नहीं देगा। बोलीदाता उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन की अधिसूचना देने में किसी गलती या चूक के परिणामों हेतु एकमात्र उत्तरदायी होगा।
4. **बयाना राशि जमा (ईएमडी):** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार केवल) की बयाना राशि उनके यथावत भरे गए बोली दस्तावेजों सहित बोलीदाता द्वारा जमा की जानी चाहिये। बैंक गारंटी की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू होने वाले 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट **पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में और नई दिल्ली** में देय होना चाहिये।
 - 4.1 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा धारित किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या प्रतिभूति जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - 4.2 बोलीदाता को इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन या अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और/इसके तहत अनुबंध का पालन करने में या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे या कार्य आदेश की अस्वीकृति के मामले या निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

असफल होने के मामले में निविदा में भावी भागीदारी समाप्त करने के अतिरिक्त उपरोक्त बैंक गारंटी सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी।

- 4.3 बयाना राशि जमा के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।
- 4.4 बयाना राशि जमा या प्रतिभूति जमा की राशि पर ब्याज या मूल्य में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।
- 4.5 निम्नांकित मामलों में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि)/निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती हैं:
- (क) यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापिस ले;
या
- (ख) अंतिम सफल बोलीदाता के मामलों में, यदि बोलीदाता
- i) निविदा/कार्य आदेश के अनुसार ठेका निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल हो; या
- ii) यदि किसी स्तर पर कोई भी सूचना/उद्घोषणा गलत पाई गई।
- iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा नियमों तथा शर्तों तथा इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार ठेका निष्पादन करने में विफलता के मामले में फर्म द्वारा जमा प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी तथा रोक लगाने/ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
- 4.6 अंतिम सफल बोलीदाता के संबंध में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि) का बोलीदाता के ठेका हस्ताक्षरित करने तथा ठेका निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
- 4.7 असफल बोलीदाताओं के ईएमडी बोलियों के खुलने की तारीख से 15 दिनों के अन्दर वापस कर दी जाएंगी।
- 4.8 ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 5. न्यूनतम पात्रता मानदंड**
- क. बोलीदाता ओईएम/या ओईएम का अधिकृत डीलर होगा जिसके लिए इस निविदा दस्तावेज में कीमतें उद्धृत की गई हैं। बोलीदाता से यथावत प्रमाणित अधिकार प्रमाणपत्र/ओईएम प्रमाणपत्र की प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- ख. बोलीदाता का पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 50 लाख प्रत्येक का न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए। वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र बोली के साथ संलग्न करना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

- ग. बोलीदाता का आयकर विभाग तथा सेवाकर विभाग के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। पैन तथा सेवाकर पंजीकरण की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अपेक्षित है।
- घ. बोलीदाता भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग या किसी पीएसयू या किसी अन्य संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक उद्घोषणा बोलीदाता द्वारा बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. बोलियों की तैयारी तथा प्रस्तुति

6.1 बोलियों को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए अर्थात् “आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर सिस्टम की खरीद हेतु निविदा” लिखे हुए लिफाफे में एकमात्र बोली और तकनीकी बोली एक सील किये हुए लिफाफे में पृथक रूप से रखी जानी चाहिए जिस पर बोलीदाता के नाम व पते सहित निविदा सं. 220/जीएस/22-2017 दिनांक 15.02.2017 हेतु तकनीकी बोली लिखा हुआ हो। बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:-

- i) एजेंसी के **लेटरहेड** पर उचित रूप से हस्ताक्षरित और प्रिंटेड बोली प्रस्तुतीकरण **फॉर्म**।
- ii) उचित रूप से भरे और हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित बोलीदाता प्रोफाइल।
- iii) प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्णतः हस्ताक्षरित और मुद्रांकित निविदा आमंत्रण दस्तावेज।
- iv) बयाना राशि जमा।
- v) न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में सभी सत्यापित सहायक दस्तावेज।

6.2 बोलियाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस) को सम्बोधित करते हुए दिनांक **14.03.2017 को 11.00 बजे** पूर्वाह्न तक प्रस्तुत की जाएंगी।

6.3 बोलीदाता अपनी बोली कोरियर से भेजते समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी बोली नियत तिथि तथा समय पर उपरोक्त पते पर प्राप्त हुई है। कोरियर के लिए समय विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

6.4 बोली अधिसूचना में नियत तिथि तथा समय से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट पते पर कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। उक्त समय तथा तिथि के पश्चात कोई बोली स्वीकार नहीं होगी। हालांकि, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के पास बोलियां खोलने से पूर्व बोली प्राप्ति के लिए तिथि/समय को बढ़ाने का अधिकार आरक्षित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

6.5 निविदा पर हस्ताक्षर करना: बोलियों या अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह विनिर्दिष्ट करना होगा कि क्या वह इस रूप में हस्ताक्षर करता है कि वही:-

- (क) उसका अकेला 'मालिक' है अथवा ऐसे अकेले स्वामित्व का अटॉर्नी है।
- (ख) फर्म का भागीदार यदि यह एक भागीदारी फर्म है तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति को फर्म की ओर से ठेका करने का पूरा अधिकार है और फर्म के भागीदारों द्वारा पूर्णतः निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा या भागीदारी करार के द्वारा या भागीदार के कारोबार से जुड़े विवादों का मध्यस्थता करेगा।
- (ग) कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा पूर्णतः प्राधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी, यदि यह एक कम्पनी हो।

एन.बी

- (1) भागीदारी फर्मों के मामलों में भागीदारी करार की एक प्रति या नोटरी पब्लिक द्वारा यथावत प्रमाणित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को भागीदारी करार या सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के कार्यान्वयन को स्वीकारते हुए सभी भागीदारों द्वारा यथावत शपथबद्ध स्टाम्प लगे कागज पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति भी निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- (2) उन भागीदारी फर्मों के मामले में, जहां भागीदारी फर्म के कारोबार से संबंधित विवादों को संदर्भ करने के लिए कोई अधिकार किसी पार्टी को नहीं दिए गए हैं, वहाँ बोलियों एवं सभी अन्य संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (3) अन्य व्यक्ति की तरफ से बोलियों में भाग लेने वाले बोली फॉर्म या किसी अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे दूसरे व्यक्ति की तरफ से बोली लगाने हेतु प्राधिकार होना चाहिये और यदि पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि ऐसे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास, ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय पूर्व धारणा के बिना ठेके को निरस्त कर देगा और हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध सिविल एवं आपराधिक उपायों के अंतर्गत सभी लागतों, परिणामों और क्षतिपूर्तियों के लिए दायी बनाएगा।
- (4) बोलीदाता बोलियों के प्रत्येक पृष्ठ और अपने सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी/अपनी फर्म की मुहर लगाएगा क्योंकि बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के स्वीकरण को

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

ठेके के रूप में माना जाएगा और कोई पृथक औपचारिक ठेका तैयार नहीं किया जाएगा। इस बोली दस्तावेज से कोई पृष्ठ हटाया/अलग नहीं किया जाना चाहिए (यह उप-खण्ड उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां पृथक करार के हस्ताक्षर को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक समझा गया है)।

7. बोलियों की वैधता:

बोलियाँ, बोलियों के शुरू होने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी।

8. बोली खोलने की प्रक्रिया:

8.1 **बोली खोलने की प्रक्रिया:** बोली समिति कक्ष में दिनांक **14.03.2017** को **3:00 बजे** अपराह्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति कक्ष में, ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं, खोली जाएगी। यदि सरकार द्वारा बाद में बोली खोलने की निर्धारित तिथि को छुट्टी घोषित की जाती है तो अगले कार्यदिवस पर उसी समय बोली खोली जाएगी। बोलीदाता को यह छूट होगी कि वह या तो स्वयं या केवल एक व्यक्ति को बोली खोलने के समय प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। बोलीदाता की ओर से बोलियाँ खोलते समय उपस्थित रहने वाले प्रतिनिधि को बोलीदाता से एक प्राधिकार पत्र तथा पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा।

8.2 आर.ओ. वॉटर प्यूरिफायर सिस्टम की तत्संबंधी क्षमता में न्यूनतम बोली मूल्य लगाने वाले न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले बोलीदाताओं को सफल बोलीदाता-एल1 माना जाएगा।

9 **स्वीकृति का अधिकार:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को किसी भी बोली को अस्वीकार करने के सभी अधिकार हैं जिनमें वे बोलीदाता भी शामिल हैं जो बिना किसी कारण बताए निर्देश का अनुपालन करने में विफल हों तथा न्यूनतम तथा किसी भी विशेष बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

9.1 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में बोलीदाता की ओर से कोई भी असफलता तथा कार्य के लिए प्रचार करने के प्रयास से बोलीदाता की बोली अस्वीकृत हो जायेगी।

9.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार को अपने विवेक से किसी सफल एजेंसी (एजेंसियों) को कोई भाग या पूर्ण संविदा प्रदान करने का अधिकार है, और यह बोलीदाताओं पर बाध्य होगा।

9.3 एजेंसी जिसे संविदा प्रदान की गई है, द्वारा उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के प्रावधान के अनुपालन की असफलता की स्थिति में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अगले उच्च बोलीदाता अथवा अन्य किसी बाहरी एजेंसी को

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा कीमत की भिन्नता चूककर्ता एजेंसी से वसूल की जाएगी जिसे प्रारंभिक रूप से संविदा प्रदान की गई है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्य होगा।

10. **संविदाकार को सहायता:** संविदाकार न तो संविदा पूर्ण करने के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद में और न ही दूसरे प्रकार से सहायता के लिए पात्र होंगे।
11. **स्वीकृति की सूचना:** सफल बोलीदाता को उनकी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जायेगा।
12. **कार्य आदेश की अवधि:** प्रत्येक आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर के लिए इस कार्यालय में आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर की आपूर्ति की तिथि से कम से कम से एक वर्ष की वारंटी होगी। वारंटी अवधि के दौरान होने वाली किसी भी त्रुटि के मामले में, एजेंसी जिसे कार्य आदेश दिया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों पर ध्यान दिया गया है और साइट पर शिकायत दायर करने के चार घंटों के भीतर समाधान किया गया है, जिसमें विफल होने पर ₹ 1000/- प्रतिदिन की शास्ति लगेगी। यदि मशीन को परिसर के बाहर ले जाने की आवश्यकता होती है, इस पर सफल बोलीदाता की लागत लगेगी और ऐसे मामलों में बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा की जब तक मशीन कार्य करने की स्थिति में नहीं होती एक सहायक मशीन प्रदान की जायेगी।
13. **प्रतिभूति जमा:** बोलियों के स्वीकार करने पर ठेकेदार/सफल बोलीदाता भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर ₹ 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपये) की निष्पादन सुरक्षा जमा को नई दिल्ली में देय, पी.ए.ओ., प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक प्रत्याभूति के रूप में जमा करेगा। बैंक गारन्टी को संविदा की किसी निबंधन/शर्त का गैर अनुपालन या असंतोषजनक निष्पादन या कार्यआदेश की गैर स्वीकृति अथवा किसी भी लापरवाही या उल्लंघन के मामले में भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर उपरोक्त बैंक गारन्टी का ऐसा भाग फर्म के बिल पर किए गए किसी गलत या अत्यधिक भुगतान को शामिल करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा रखा जा सकता है, जब तक फर्म के बिल के लेखे पर अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति अथवा जांच नहीं हो जाती।
 - क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति जमा करने के लिए कहा जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, संविदाकार के जोखिम तथा खर्च पर अन्य व्यवस्थाएँ करने का हकदार होगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

ख) सभी संदर्भों में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर प्रतिभूति जमा निर्धारित फार्म में पूर्ण बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित ठेकेदार को जारी किए गए किन्हीं विनिर्देशकों, नमूनों अथवा अन्य सम्पत्ति की अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस की जाएंगी।

14. शास्ति:

(क) ठेके की किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में एवं ठेके की अवधि के दौरान हुई सभी प्रकार की हानियों के लिए, सफल बोलीदाता जिसे ठेका दिया गया है, जैसा कि यहाँ अनुलग्नकों में अनुबंधित किया गया है, निष्पादन कार्यों में लापरवाही के मामलों में सभी प्रकार की हानियों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसे मामलों में, कार्यालय ठेकेदार द्वारा दिए गए बिलों से कटौती करेगा या इसके या किसी दूसरे ठेके या प्रतिभूति जमा के अंतर्गत ठेके में जमा होगा या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के क्रेडिट में सात दिनों में भुगतान करने के लिए उससे माँग की जा सकती है।

(ख) ठेकेदार कार्य आदेश जारी करने की तिथि से दो हफ्तों के भीतर इस कार्यालय में सभी आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर की आपूर्ति एवं संस्थापन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल होता है, जो ₹ 5000/- प्रतिदिन की शास्ति लगेगी।

(ग) इस शर्त के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की शक्तियाँ प्रावधानों के अनुसार न तो उनमें निहित ठेका को समाप्त करने के लिए कतिपय मामलों में शक्तियों को किसी भी तरह प्रभावित या पूर्व धारित होंगी और न ही उपरोक्त खण्ड 13 के अंतर्गत उल्लिखित जमा को जब्त करेगी।

15. अस्वीकरण: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने पर प्रतिबंध है। इस उद्देश्य के लिए संबंधित को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता, पुत्र (पुत्रों), पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री (पुत्रियां), पुत्री का पति (दामाद), भाई एवं भाई की पत्नी, बहन (बहनें) और बहन का पति (बहनोई)।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

16. दिवालियापन:

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित घटना में से किसी घटना पर ठेकेदार को बिना मुआवजे के सरसरी तौर पर लिखित में नोटिस द्वारा ठेका समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:

यदि ठेकेदार व्यक्तिगत या फर्म के रूप में ठेकेदार की फर्म का कोई भागीदार, किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरुद्ध उसकी संपदा के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशों या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने क्रेडिटर्स के साथ समझौता या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म भागीदारी के तहत भंग की जाती है अथवा;

- i) यदि एक कम्पनी होने के नाते ठेकेदार एक संकल्प पारित करेगा या न्यायिक मामलों के परिसमापन के लिए आदेश करेगा या डिबेंचरधारक की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो न्यायालय या डिबेंचर धारक को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति का हकदार बनाए।
- ii) यदि ठेकेदार इस ठेके का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो, बशर्ते कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार उपचित किया जाएगा या उसके बाद खरीददार को उपार्जित होगा और मुहैया किया गया है कि ठेकेदार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान का दायी होगा, इस प्रकार वह, किसी लाभ या पुनः खरीद का हकदार नहीं होगा और कार्यालय द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

17. ठेका भंग करना:

ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए ठेका रद्द करने का अधिकार होगा तथा निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा तथा उसे जब्त और भुना लिया जाएगा। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कार्यालय द्वारा की जायेगी।

- 18. कार्य का उप-ठेका देना:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार ठेका या उसके किसी भाग का उप-ठेका, आगे किराये पर देना, हस्तांतरण या कार्य नहीं सौंपेगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन में, सक्षम प्राधिकारी ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर अन्य किसी को ठेका

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

देने का हकदार होगा और ठेकेदार उस हानि क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परिणाम भुगताने होंगे या ठेके को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

19. भुगतान की शर्तें:

19.1 कार्य प्रदान करने के आधार पर अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

19.2 ठेकेदार को इस कार्यालय में सभी आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम आपूर्त और संस्थापित करने के पश्चात बिल पस्तुत करने होंगे। भुगतान केवल ठेकेदार द्वारा संतोषजनक तरीके से कार्य को पूर्ण करने पश्चात ही किए जाएंगे। लापरवाही या ठेके के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में संविदा आमंत्रण नोटिस में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

19.3 सभी भुगतान केवल चैक/एनईएफटी द्वारा की किए जाएंगे।

19.4 भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित जुर्मानों की वसूली के तहत किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप रोकने की स्वतंत्रता होगी।

19.5 इस पैरा में वर्णित शब्द 'भुगतान' में ठेके के पृथक खंडों द्वारा शासित बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा को छोड़कर इस ठेके के कारण उत्पन्न ठेकेदार को देय सभी प्रकार के भुगतान सम्मिलित हैं।

20. **जांच:** आपूर्त किये गये आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम के किसी भी मामले में, कार्यान्वयन के बाद भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए दायी होगा और विनिर्दिष्ट/गुणवत्ता के अनुसार न पाई गई किसी मद (मदों) को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार को अपनी लागत तथा जोखिम पर उक्त को पुनः कार्यान्वित करना होगा और अन्यथा वह ऐसे निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

21. ठेकेदार को ओर से ठेकागत दायित्व:

(i) ठेकेदार इस कार्यालय द्वारा खरीद आदेश के जारी करने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर इस कार्यालय में सभी आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम की आपूर्ति और उनका संस्थापन करना अपेक्षित होगा, ऐसा न करने पर विनिर्दिष्ट जुर्माने लगाये जाएंगे।

(ii) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी बोली के भाग के रूप में लिये गये और इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये कार्य आदेश के अनुसार की आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम आपूर्ति और संस्थापित किये जाएंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि किसी अन्य ब्रांड की आपूर्ति कराई गई है, तो सुरक्षा जमा जब्त

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

- करने और ठेकेदार को ब्लैक-लिस्ट करने के लिए कार्रवाई करने के साथ-साथ ठेकेदार के प्रति आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (iii) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मर्दों की आपूर्ति करते समय उसकी फर्म/मजदूरों द्वारा सुरक्षा सावधानी/उपाय किए जाएंगे। कार्य के स्थान पर सभी सुरक्षा एहतियाती के उपायों के साथ सर्वोत्तम कार्य-कौशल में कार्य का निष्पादित किया जायेगा जिसका पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा और इस संबंध में इस कार्यालय की अपनी कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- (iv) ठेकेदार, ठेकेदार को सौंपे गये कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली किसी भी हानि के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा कार्यालय की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा।
- (v) ठेकेदार समय-समय पर लागू होने वाले सभी कानूनों का पालन करेगा।
- (vi) ठेकेदार अथवा उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा ठेके के उल्लंघन, गलत कार्य या उदासीनता द्वारा किसी देयता, दावा हानि या क्षतियों के प्रति अपने कर्मचारियों और इस कार्यालय में किसी हानि की क्षतिपूर्ति स्वयं करेगा।
- (vii) ठेके के दौरान कार्य करने के लिए इस कार्यालय द्वारा कोई परिवहन प्रभार प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (viii) बोलियों की प्राप्ति के बाद मूल्यवृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ix) उद्धृत दरों में पूर्ण आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर सिस्टम लागत सम्मिलित होगी।
- (x) ठेकेदार शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी सेवा एजेंसी के टेलीफोन नंबर के अतिरिक्त संविदा आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक-III) में ई-मेल एकाउंट भी अवश्य उपलब्ध करायेगा। वारंटी अवधि के दौरान, सभी शिकायतें तुरंत ठेकेदार द्वारा दूर की जाएगी, ऐसा न होने पर पैरा 14 में विनिर्दिष्ट जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जाएगा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगी।
- (xi) कार्य आदेश/ठेका करार की निबंधन और शर्तें दोनों पक्षों (भारत के सीएजी कार्यालय और सफल बोलीदाता जिसे कार्य दिया गया) के बीच पूर्णरूप से गोपनीय है और किसी और को इसके बारे में नहीं बताया जायेगा। इस धारा के उल्लंघन में किसी भी प्रकटन के मामले में इस करार को भंग माना जायेगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

22. **मध्यस्थता:** फर्म और इस कार्यालय के बीच किसी भी विवाद या मतभेद होने पर, चाहे वह इन शर्तों एवं निबंधनों के तहत आदेशों के निष्पादन के दौरान हो अथवा उसके बाद, चाहे वह उल्लंघन या इस तरीके से हो:

- (i) शर्तों एवं निबंधन का गठन
- (ii) पक्षों के तत्संबंधी अधिकार या देयतायें इस आधार पर होंगी।
- (iii) इन शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में या संबंधित अथवा इससे जुड़ी कोई बात या मामला होने पर या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस देगा और ऐसा विवाद या मतभेद सीएजी कार्यालय द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा और ऐसी मध्यस्थता का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

23. ठेका दिल्ली/नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सा.से)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.220/जीएस/22-2017

दिनांक : 15.02.2017

अनुलग्नक IV

अपनी कीमत उद्धृत करें

क्रम संख्या	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स (बोलीदाता द्वारा कोई एक निर्दिष्ट किया जाए)	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम का ब्रांड (बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)	उद्धृत इकाई दर (बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया जाए)	अपेक्षित आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम की कुल संख्या	कुल उद्धृत राशि (बोलीदाता द्वारा उद्धृत की जाए)
1.	<u>आर ओ + यू.वी</u> वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स की <u>50 एलपीएच क्षमता</u> (इआन एक्सचेंज/यूरेका फोर्बस/केंट)			15	
2.	<u>आर ओ + यू.वी</u> वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स की <u>100 एलपीएच क्षमता</u> (इआन एक्सचेंज/यूरेका फोर्बस/केंट)			02	
3.	<u>आर ओ + यू.वी</u> वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स की <u>25 एलपीएच क्षमता</u> (इआन एक्सचेंज/यूरेका फोर्बस/केंट)			02	
आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स के लिए कुल उद्धृत राशि					
आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स पर कर					
आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम्स के लिए कुल बोली राशि					

नोट: बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कीमतें प्रपत्र में उद्धृत करें।

दिनांक:

(बोलीदाता का हस्ताक्षर)

स्थान:

(कार्यालयी मोहर)
पूरा नाम एवं पदनाम